नियमों का उल्लंघन | यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी पर उठे सवाल

स्टेशन परिसर में नाबालिग बेच रहे गुटखा

जबलपुर, नवभारत। जबलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में प्रतिबंधित गुटखा और खैनी की खुलेआम बिक्री का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस अवैध कारोबार में कथित तौर पर नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोमवार दोपहर मुंबई से हावड़ा जाने वाली एक मेल ट्रेन के डिब्बों में एक नाबालिग लड़की यात्रियों को गुटखा और खैनी बेचती दिखाई दी। यदि ऐसा हो रहा है, तो यह न केवल प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री का मामला है, बल्कि बाल संरक्षण और कानून-व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय भी है मालूम हो की स्टेशन परिसर में तंबाकू युक्त गुटखा पर लंबे समय से प्रतिबंध लागू है, फिर भी इसकी अवैध बिक्री की घटनाएं सामने आती रही हैं। यात्रियों का आरोप है कि स्टेशन परिसर और ट्रेनों में इस तरह की गतिविधियां नई नहीं हैं, लेकिन समय-समय पर होने वाली कार्रवाई के बावजूद इन पर स्थायी रोक नहीं लग पा रही है। उनका

कहना है कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और अन्य जिम्मेदार एजेंसियों की मौजूदगी के बीच यदि प्रतिबंधित सामग्री की खुलेआम बिक्री हो रही है, तो यह निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

हो रहा है नाबालिगो का इस्तेमाल

भारतीय रेल में यात्रियों और रेलवे परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आरपीएफ की भी है, जिसके तहत अवैध गतिविधियों पर निगरानी अपेक्षित होती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेन रुकते ही कुछ लोग डिब्बों में चढ़कर तेजी से गुटखा और खैनी बेचते हैं और ट्रेन खुलने से पहले उतर जाते हैं। आरोप है कि इस पूरे नेटवर्क में नाबालिगों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि कार्रवाई की स्थिति में मुख्य संचालक बच निकलें। इससे न केवल कानून का उल्लंघन होता है, बल्कि बच्चों को भी अवैध गतिविधियों में धकेले जाने का खतरा बढ़ जाता है। यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है, तो यह मामला संबंधित विभागों द्वारा विस्तृत जांच का विषय बनता है।

शीघ्र कानूनी कार्यवाही हो

रेल यात्रियों और सामाजिक संगठनों ने रेलवे प्रशासन, आरपीएफ, जीआरपी तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन से संयुक्त अभियान चलाकर स्टेशन परिसर और ट्रेनों में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की है। साथ ही यह भी मांग उठाई गई है कि यदि किसी नाबालिग से इस तरह का कार्य कराया जा रहा है, तो उसके पीछे सक्रिय लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि केवल छिटपुट कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि नियमित निगरानी, सतत अभियान और जवाबदेही तय किए बिना इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगाना मुश्किल होगा।

इनका कहना है

आप के द्वारा यह मामला मेरे संज्ञान में आया है। निश्चित ही इनको चिन्हित कर कार्यवाही की जाएगी।

संजीवनी राजपूत
थाना प्रभारी, जीआरपी
जबलपुर

यथास्थिति आदेश का गलत अर्थ निकालकर दायर याचिका निरस्त

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने कटनी की सिलिको बाईट शिक्षा उत्कर्ष समिति द्वारा दायर विविध व्यवहार प्रकरण को निरस्त करते हुए स्पष्ट किया कि पूर्व में पारित यथास्थिति आदेश का संबंध भूमि के हस्तांतरण से था, निर्माण कार्य पर रोक से नहीं। दरअसल समिति ने कटनी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के पदाधिकारियों सहित पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त तत्कालीन तहसीलदार व पूर्व थाना प्रभारी के खिलाफ आरोप लगाया था कि हाईकोर्ट के यथास्थिति आदेश के बावजूद विवादित भूमि पर निर्माण कराया गया और प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। मामले की सुनवाई के दौरान महाविद्यालय की ओर से अधिवक्ता दीपक पंजवानी व नेहा भाटिया ने बताया कि विवादित भूमि के विक्रय को शून्य घोषित कराने का दीवानी वाद जिला न्यायालय, कटनी पहले ही निरस्त हो चुका है, जिसके विरुद्ध अपील हाई कोर्ट में लंबित है। न्यायालय ने कहा कि अपील में दायर स्थगन आवेदन में केवल भूमि का किसी अन्य के पक्ष में हस्तांतरण रोकने की प्रार्थना की गई थी।

सर्वे व स्टडी का डाटा नहीं है गोपनीय दस्तावेज

हाईकोर्ट ने प्रतिवादी को उपलब्ध कराने सरकार को दिये निर्देश

जबलपुर। प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सरकार को निर्देशित किया है कि प्रमोशन का क्वांटिफिएबल डाटा प्रतिवादियों को उपलब्ध कराये। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि डाटा का अवलोकन कर प्रतिवादी 17 जुलाई तक अपनी आपत्ति दर्ज कर कराये। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की है।

गौरतलब है कि भोपाल निवासी स्वाति तिवारी सहित अन्य की ओर से प्रमोशन में आरक्षण के संबंध में याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि पूर्व में महाधिवक्ता ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया सरकार के द्वारा नये नियम के अनुसार पदोन्नति नही दी जायेगी। प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारियों की प्रमोशन सूची जारी की गयी है। युगलपीठ को सुनवाई के दौरान बताया गया कि महाधिवक्ता का मौखिक आश्वासन रिकॉर्ड में नही है। युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि पूर्व में सरकार की तरफ से 28 अक्टूबर को सीलबंद लिफाफे में पदोन्नति नियम-2025 के रूल-5 के अनुसार की गई स्टडी व सर्वे का डाटा सीलबंद लिफाफे में पेश किया गया था। सरकार की ओर से अन्य दस्तावेज पेष करने समय लिया गया था। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादियों को स्टडी व सर्वे का डाटा बुधवार तक उपलब्ध कराया जाये। जिसके आधार पर वह आपत्ति पेश कर सकें। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से वरिष्ट अधिवक्ता सीएस वैधनाथन, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह तथा याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मनोज शर्मा व आपत्तिकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद अली उपस्थित हुए।

हाईकोर्ट ने माना जमानत के लिए बदली परिस्थितियां पर्याप्त

हाईकोर्ट के जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि जमानत अर्जी पर विचार करते समय केवल एफआईआर या आरोपपत्र ही नहीं, बल्कि ट्रायल के दौरान सामने आए नए तथ्यों का भी महत्व होता है। यदि मुकदमे के दौरान परिस्थितियों में ऐसा बदलाव सामने आए, जो मामले की प्रकृति को प्रभावित करता हो, तो उसे जमानत का आधार माना जा सकता है। इसी सिद्धांत को अपनाते हुए हाईकोर्ट ने दुष्कर्म, पाक्सो व एससी-एसटी एक्ट के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे एक आरोपी को नियमित जमानत प्रदान कर दी। दरअसल, कोर्ट ने बैतूल जिले के गंज थाने में दर्ज प्रकरण की सुनवाई करते हुए पाया कि अभियोजन के अनुसार दोनों के संबंधों के दौरान युवती गर्भवती हुई थी और बाद में उसका गर्भपात हो गया। हालांकि ट्रायल कोर्ट में गवाही के दौरान बालिग पीड़िता ने स्पष्ट कहा कि आरोपी से उसके शारीरिक संबंध उसकी इच्छा और सहमति से बने थे। कोर्ट ने इसे पहली जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उत्पन्न बदली हुई परिस्थिति माना और आरोपित को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं एक सक्षम जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया।

एक नजर में

मोबाइल हैंक होते ही खाते से उड़ी रकम

नवभारत, जबलपुर। रांझी थाना थाना अंतर्गत रविदास नगर से एक युवक का मोबाइल महज 15 मिनट के लिए हैंक हुआ और उसके बैंक खाते से करीब 50 हजार रुपये पार कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक रविदास नगर निवासी राजेन्द्र चौधरी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। वे अपने घर पर मोबाइल चला रहे थे। इसी दौरान अचानक उनका फोन पूरी तरह हैंग हो गया और स्क्रीन बंद हो गई। करीब 15 मिनट तक कोशिश करने के बाद मोबाइल अपने आप दोबारा चालू हुआ। उस वक्त राजेन्द्र को अंदाजा भी नहीं था कि इस 15 मिनट के भीतर उनका पूरा बैंक खाता खंगाला जा चुका है। उनके खाते से 49,660 की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कर ली गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि यह राशि उत्तर प्रदेश के किसी अज्ञात व्यक्ति के बैंक खाते में ट्रांसफर हुई है।

शराब दुकान में ढाबा संचालक का हंगामा

नवभारत, जबलपुर। कुण्डम थाना अंतर्गत तिलसानी में ढाबा संचालक ने शराब दुकान में हंगामा करते हुए दो कर्मियों के साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मनीष जयसवाल पिता राजेश जयसवाल 32 वर्ष निवासी कुण्डम ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे तिलसानी में शराब के दुकाम में काम करता है। बीती रात्रि करीब 11 बजे वे साथी कर्मचारी राहुल राजपूत तिलसानी शराब दुकान में थे तभी संग्राम ढाबा वाला संग्राम राजपूत शराब दुकान पर आया और चना बेचने की बात पर विवाद करने लगा। इसके बाद डंडे से हमला कर उसे चोट पहुंचा दी। साथी राहुल राजपूत बचाने आया तो संग्राम ने राहुल को भी लात घूसो से मारपीट किया और जान से मारने की धमकी दी।

जमानत पर छूटे युवक के घर में बदमाशों का उपद्रव, तोड़फोड़

जबलपुर। सदर इलाके में बीती रात बदमाशों ने जमकर उत्पाद मचाया। जेल से जमानत पर छूटकर आए एक युवक और उसके मददगार दोस्त को निशाना बनाते हुए चार बदमाशों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और बीच-बचाव करने आए युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की। पुलिस के मुताबिक सदर निवासी मीता मलिक (34) के पति नीलेश उर्फ बच्चा एक पुराने मामले में जेल में बंद थे। बीती रात उनका साथी शुभम उन्हें जमानत पर रिहा करवाकर घर छोड़ने आया था। नीलेश को घर छोड़कर जब शुभम वापस अपने घर जाने लगा, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे नितिन मलिक, सुमरित उर्फ रितिक नन्हेंट, मनोज तामिया और लक्की तामिया ने उसे रोक लिया। बदमाशों के चंगुल से छूटकर शुभम भागते हुए वापस नीलेश के घर पहुंचा और आपबीती सुनाई। परिजनों ने तुरंत घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लिया। पीछा करते हुए चारों आरोपी भी वहां पहुंच गए। बदमाशों ने घर के मुख्य दरवाजे में लगी जाली में छेद कर दिया और जबरन घर के अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुसते ही आरोपियों ने नीलेश उर्फ बच्चा को घेर लिया और कहा, जमानत पर छूट कर आया है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।

एसबीसी चुनाव : भदौरिया और सैनी का जलवा बरकरार

आज रायसेन राजगढ़ और रतलाम की मतपेटियों की होगी गिनती

जबलपुर। एमपी स्टेट बार काउंसिल निर्वाचन-2026 की मतगणना मंगलवार को भी पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जारी रही। अंतिम चरणों की चल रहीं मतगणना में भी राकेश सिंह भदौरिया व जबलपुर के आरके सिंह सैनी ने अपना जलबा बरकरार रखा और बढ़त में सबसे आगे चल रहे है। इस चरण में अशोकनगर, सबलगढ़, जीरा, तेंदूखेड़ा, गाडरवारा, गोटेगांव, करेली, नरसिंहपुर, रामपुरा, मनासा, नीमच, जावद, शाहनगर, अजयगढ़, गुन्नौर, पवई, पन्ना, सिलवानी व रायसेन की मतपेटियों की गिनती पूरी की गई। प्रत्येक चरण की मतगणना सभी प्रत्याशियों और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कराई जा रही है। अब तक की मतगणना में राकेश सिंह भदौरिया, आरके सिंह सैनी, विवेक सिंह, हितोषी जय हार्डिया और जितेंद्र कुमार जैन बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं महिला प्रत्याशियों में प्रतीका पाठक, अनु पटेल, प्रतिमा बालिया, अंजना कुरसिया और रेशिम ऋतु जैन को बढ़त मिली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसके पालो व वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने बताया कि सहायक रिटर्निंग आफिसर जीएस बघेल और दीपक अवस्थी व हाईपावर इलेक्शन कमेटी के सचिव प्रशांत दुबे की देखरेख में मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रही है। करीब 62 हजार मतों में से अब तक 40,879 मतों की गिनती पूरी हो चुकी है। इनमें 39,442 मत वैध पाए गए हैं, जबकि 1,437 मतपत्र निरस्त किए गए। बुधवार को रायसेन की शेष मतपेटियों के साथ राजगढ़ और रतलाम की मतगणना होगी। इसके बाद समय मिलने पर रीवा जिले की मतपेटियों की गिनती शुरू की जाएगी।

महाधिवक्ता कार्यालय नियुक्ति मामला : चयन प्रक्रिया का मूल रिकार्ड तलब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने महाधिवक्ता कार्यालय में ला आफिसर्स की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान मामले को सीरियस मैटर बताते हुए राज्य सरकार से चयन प्रक्रिया का पूरा मूल रिकार्ड तलब कर लिया। न्यायालय ने मामले में निर्देशित किया है कि अगली सुनवाई पर महाधिवक्ता स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष पक्ष रखें। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। उल्लेखनीय है कि यह मामला हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के संयुक्त सचिव अधिवक्ता योगेश सोनी की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब ला

ऑफिसर्स की नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, तब चयन का निर्धारित मापदंड क्या था और चयनित अधिवक्ताओं का चयन किन मानकों के आधार पर किया गया। कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं से संबंधित संपूर्ण मूल अभिलेख अगली सुनवाई पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन प्रतिवादियों द्वारा अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल नहीं किया जाएगा, उनके संबंध में महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही उनका जवाब माना जाएगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि महाधिवक्ता कार्यालय में विधि अधिकारियों की नियुक्तियां वर्ष 2013 की राजपत्र अधिसूचना और निर्धारित पात्रता मानकों के अनुरूप नहीं की गईं। याचिकाकर्ता का दावा है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहा तथा पात्रता संबंधी नियमों की अनदेखी की गई।

उपद्रवियों ने घर में घुस मचाया उपद्रव, मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी का प्रयास

नवभारत, जबलपुर। उपद्रवियों ने युवती की शादी रूकवाने एक घर में धावा बोले हुए तोड़फोड़, मारपीट की बल्कि आगजनी का प्रयास किया। वारदात के बाद दहशत में आया पीड़ित परिवार अपनी जान बचाने की गुहार लेकर सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। पीड़िता ने खौफनाक आपबीती की लिखित शिकायती पत्र सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

गोराबाजार निवासी रोशन आरा ने बताया कि उनके भाई की एक लड़की से शादी होने वाली है। इसी बात से नाराज होकर बेलबाग थाना क्षेत्र का रहने वाला आदित्य

बैन नाम का युवक लगातार फोन पर प्रताड़ित कर रहा था। आरोपी युवक भाई को जान से मारने की धमकी दे रहा था और उसकी शादी तोड़ने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। 12 जुलाई की रात करीब 8 बजे पीड़िता के भाई के पास अनजान नंबर से फोन आया। आरोपियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसे कटंगा टीवी टावर के पास घेर लिया। वहां आरोपियों ने धारदार हथियार निकालकर भाई पर हमले की कोशिश की। मामला यहीं शांत नहीं हुआ उसी रात करीब 11 बजे आरोपियों ने पूरी योजना के साथ पीड़िता के घर पर हमला बोल दिया। करीब 30 से 40 अज्ञात उपद्रवियों ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। बदमाशों ने घर के भीतर घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब रोशन आरा और उनके परिवार की महिलाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उपद्रवियों ने उनके साथ मारपीट और धक्का-मुक्की की। पीड़िता का आरोप है कि उपद्रवियों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए घर में आगजनी का भी प्रयास किया। घटना सीसीटीव्ही कैमरे में कैद हो गया है। पीड़ित परिवार ने कार्रवाई की मांग की है।

रास्ता भटकी बालिका, पुलिस को रोती मिलीं

वायरलैस सेट पर चला मैसेज, सोशल मीडिया की ली मदद, पिता पहुंचा थाने

नवभारत, जबलपुर। स्कूल से छूटने के बाद घर जाते समय दस साल की बालिका रास्ता भटक गई और गोहलपुर तिराहे तक पहुंच गई। बालिका पुलिस को रोती बिलखती मिली। जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। वायरलैस सैट पर मैसेज चलाया। साथ ही अन्य थानों को सूचना दी। सोशल मीडिया की भी मदद ली जिसके बाद पिता थाने पहुंचा। गुमी बेटी को पाकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। पुलिस ने पिता को समझाइश देते हुए बेटी को सुपुर्द किया। टीआई रीतेश पाण्डे ने बताया कि मंगलवार शाम गोहलपुर तिराहे के पास स्थित दुकान के सामने एक 10 वर्षिय बच्ची रोते हुई खडी मिली। पुलिस बालिका को थाने लेकर आई। जिसने पूछने पर अपना नाम वैष्णवी एवं पिता का नाम राजू

कोरी, मां का नाम अनीता कोरी एवं भाई का नाम विनायक बतायी किंतु घर का पता पूछने पर पता नहीं बता पा रही थी जिसकी जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों एवं कन्ट्रोल रूम को दी गयी। कन्ट्रोल रूम जबलपुर द्वारा वायरलैस सैट के माध्यम से शहर देहात के सभी थानों को लावारिस हालत में रोते हुये मिली बच्ची के सम्बध में जानकारी दी गयी। जबलपुर पुलिस के वाट्सअप ग्रुपों में भी 10 वर्षिय बालिका का फोटो डालते हुये परिजनो की पतासाजी के लिए बताया गया। बालिका के परिजनों का पता न चलने पर सोशल मीडिया के माध्यम से तलाश पतासाजी के लिए बालिका का फोटो प्रचारित, प्रसारित किया गया। स्थानीयजनों के सहयोग से पतासाजी के दौरान राजू कोरी निवासी कटरा अधारताल का थाने आया जिसने 10 वर्षिय बच्ची को अपनी बेटी वैष्णवी कोरी होना बताया। बच्ची स्कूल से छूटने के बाद घर जाते समय भटक कर गोहलपुर की ओर आ गयी थी। पिता को समझाईश दी गयी की बच्ची का ध्यान रखें।

मेडिकल कॉलेज से लिफ्ट मैन की स्कूटी चोरी

नवभारत, जबलपुर। गढ़ा थाना अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर में मर्चूरी के सामने से एक शातिर चोर लिफ्ट मैन की स्कूटी चुराकर रफूचक्कर हो गया। पूरी वारदात पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक लड़का स्कूटी में चाबी लगाकर उसे ले जाते हुए साफ नजर आ रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, झंडा चौक पुरवा निवासी मुकेश यादव मेडिकल कॉलेज में लिफ्ट मैन काम करते हैं। रोज की तरह वह सुबह करीब 7:30 बजे अपनी हीरो ड्यूट स्कूटी क्रमांक एमपी 20 एस क्यू 1769 लेकर ड्यूटी पर गया था। गाड़ी न्यू ब्लॉक एकेडमी के सामने मर्चूरी के पास लॉक करके खड़ी की थी। शाम करीब 3:10 बजे जब मुकेश अपनी ड्यूटी खत्म कर वापस लौटे, तो गाड़ी वहां से नदारद थी। पीड़ित ने आस-पास काफी खोजबीन की और लोगों से पूछताछ की, लेकिन गाड़ी का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद जब मर्चूरी के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई, तो उसमें एक अज्ञात लड़का मुकेश की स्कूटी की तरफ बढ़ता और उसमें चाबी लगाकर उसे स्टार्ट कर ले जाता हुआ दिखाई दिया।

इधर घर के बाहर से स्कूटी चोरी

गोरखपुर थाना अंतर्गत आदर्श नगर में घर के बाहर खड़ी एक स्कूटी चोरी हो गई। पीड़ित अमन कुमार शर्मा (22) ने पुलिस को बताया कि उन्होंने बीती रात अपनी लाइट ग्रे कलर की सुजुकी एक्सेस स्कूटी क्रमांक एमपी 20 एस यू 1139 घर के बाहर खड़ी की थी। अगली सुबह वह गायब मिली। काफी तलाश के बाद भी जब वाहन नहीं मिला, तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

दो घरों में चोरी

नवभारत, जबलपुर। खितौला थाना अंतर्गत लखराम मोहल्ला में दो सूने घरों में चोरों ने धावा बोलते जेवरात, नगदी पार कर दी। पुलिस ने बताया कि दिनेश दुबे निवासी लखराम मोहल्ला ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी पत्नि बच्चो को लेकर मायके गयी है। वे घर में ताला लगाकर वह अपनी ड्यूटी पर चला गया था। इसी दौरान चोर सूने मकान का कुंदा तोडकर अज्ञात चोर सोने चांदी के जेवर चुरा ले गया। इसी प्रकार अनीता पारस निवासी लखराम मोहल्ला ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसके पति शंकरलाल जबलपुर स्थित ओमेगा अस्पताल मे भर्ती कराया है।

अतिक्रमण | कार्रवाई के बाद भी नहीं सुधर रहे हालात

त्रिपुरी चौक पर फिर फैला अतिक्रमण

जबलपुर, नवभारत। शहर के व्यस्ततम त्रिपुरी चौक पर अतिक्रमण एक बार फिर तेजी से फैलने लगा है। प्रशासन द्वारा हाल ही में की गई कार्रवाई के बाद कुछ दिनों तक व्यवस्था बेहतर नजर आई, लेकिन अब फिर से सड़क किनारे चाय-पान की गुमटियां, कपड़ों की दुकानें और अन्य अस्थायी कारोबारियों ने कब्जा जमा लिया है। इससे सड़कें संकरी हो गई हैं और पूरे क्षेत्र में अव्यवस्था का माहौल बन गया है। बता दे कि कुछ समय पहले सड़क किनारे रखे गए गमलों और अन्य अवरोधों को हटाकर यातायात सुचारु करने का प्रयास किया गया था। लोगों को उम्मीद थी कि चौक पर स्थायी रूप से व्यवस्था कायम होगी, लेकिन गमले हटते ही चाय-पान और कपड़ा व्यवसायियों ने दोबारा सड़क किनारे अपना डेरा जमा लिया। कई दुकानदारों ने अपनी दुकान का सामान सड़क तक फैला दिया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

बढ़ रही दुर्घटनाओं की आशंका

अतिक्रमण के कारण त्रिपुरी चौक पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़क पर खड़े ग्राहक, बेतरतीब वाहन और फुटपाथ पर फैला सामान दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई है।

भारी जुर्माना लगाने की मांग

क्षेत्रवासियों ने नगर निगम, यातायात पुलिस और जिला प्रशासन से नियमित निगरानी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक अतिक्रमण करने वालों पर लगातार कार्रवाई और जुर्माने की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक त्रिपुरी चौक को अतिक्रमण मुक्त रखना संभव नहीं है। नागरिकों ने चौक पर स्थायी व्यवस्था लागू कर सड़क और फुटपाथ को आम लोगों के लिए सुरक्षित एवं सुगम बनाने की मांग की है।